

कमरा नं.528, सेवा भवन,
रामाकृष्णा पुरम, नई दिल्ली-66
दिनांक : 9 अक्टूबर, 2018

सेवा में,

श्री मुनीश चन्द्र मेहरा,
समाज सेवी,
C/o श्री विनोद नोटियाल,
एडवोकेट, मकान नं. आई-107,
नेहरू आवास विकास कॉलोनी,
देहरादून (उत्तराखण्ड).

विषय : जन सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत मांगी गई सूचना।

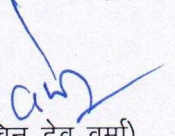
महोदय,

कृपया अपने आर.टी.आई आवेदन पत्र दिनांक 13.09.2018 का संदर्भ लें, जोकि इस कार्यालय को 28.09.2018 को प्राप्त हुआ है तथा आपके द्वारा मांगी गई निम्नलिखित सूचना दी जा रही है।

बिन्दु संख्या	मांगी गई सूचना	दी जा रही सूचना
1	निरस्त किये गये अभ्यर्थियों में कौन अभ्यर्थी किस श्रेणी अर्थात् सामान्य (जनरल), अन्य पिछड़ा वर्ग (उपजाति सहित), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से अपंग आदि के हैं, अंकित कर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	1. श्री अभिनव मिश्रा-जनरल 2. श्री अनुज - जनरल 3. विकास जैन- जनरल 4. श्री मनीष कनौजिया- अनुसूचित जाति 5. अर्पण जैन- जनरल 6. आनंद कुमार सिंह- जनरल 7. नवदीप- अन्य पिछड़ा वर्ग 8. मोतीलाल मीणा- अनुसूचित जनजाति 9. अंकित कुमार- जनरल 10. दिगविजय सिंह- अनुसूचित जाति 11. अनुभा शारदा- जनरल 12. अभिषेक चौधरी- जनरल 13. एलविन रोजी- अनुसूचित जाति 14. शमीम अहमद-अन्य पिछड़ा वर्ग एवं शारीरिक विकलांग वर्ग 15. प्रवीण कुमार- अनुसूचित जाति 16. अजय सिंह- अनुसूचित जनजाति
2	संलग्न सूची में अभ्यर्थियों के स्थाई पते अथवा अस्थायी (पत्राचार) के पते की यह जानकारी उपलब्ध नहीं है कि लिखे गये पत्राचार पते हैं अथवा स्थाई पते। अतः स्थाई पते के लिये अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेखों में अंकित हुए स्थाई पते को संलग्न सूचि में अलग से अंकित कर, उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रस्वात निरस्त कर उनके Dossiers (फाईल) को कर्मचारी चयन आयोग को वापस भेज दिया गया है। अतः यह जानकारी स्थापना छ: अनुभाग में उपलब्ध नहीं है। <i>अतः शून्य सूचना प्रदान की जाती है।</i>

सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंध 19 (1) के अनुसार श्री एन. मुखर्जी, निदेशक (स्था.छ:), सातवीं मंजिल (दक्षिण), केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, नई दिल्ली – 110066, प्रथम अपील अधिकारी है।

भवदीय



(सचिन देव वर्मा)

अवर सचिव (स्था.छ:) एवं सी.पी.आई.ओ.

दूरभाष : 29583534

प्रतिलिपि :-

1. अवर सचिव एवं नोडल अधिकारी, आर.टी.आई, पत्र स. ए-49012/8/2017(RTI)/399 दिनांक 03.10.2018 के संदर्भ में।
2. उप निदेशक, एस.एम.डी से यह अनुरोध किया जाता है कि पत्र को केन्द्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करें।